न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी– नलिनी कठोतिया आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 93/2025 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2025/96)

रूपसिंह पुत्र चरनसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम कैमरी पुलिस थाना नादौती तहसील नादौती जिला करौली (राजस्थान)

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 16.9.2008 कमांक न्याय/08/6729 दिनांक 16.9.2008 कम संख्या 10 रूपसिंह पुत्र चरनसिंह

उपस्थितिः–

श्री उदयवीर कसाना वकील अपीलान्ट।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

नि र्ण य

दिनांक 10.3.2026

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अंतर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 16.9.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि गुर्जर आन्दोलन के चलते शस्त्र अनुज्ञाधारियों को दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र के माध्यम से दिनांक 8.6.2008 तक अपने शस्त्र जमा कराने के निर्देश दिये थे। पुनः दिनांक 11.6.2008 को पब्लिक नोटिस समाचार पत्र के माध्यम से दिनांक 13.6.2008 की शाम 5.00 बजे तक शस्त्रों को संबधित थानों में जमा कराने के आदेश दिये थे। अपीलान्ट द्वारा नियत समय में शस्त्र जमा नहीं कराने की रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया तथा शस्त्र को जब्त सरकार करने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.9.2008 पारित किया गया जिसके खिलाफ यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तहत पत्रावली एवं रैस्पोडेन्ट तलब किये गये नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं लिहाजा वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट भारतीय थल सेना से सेवानिवृत फौजी है ।

अनपढ व्यक्ति है जिसे कानून की बारीकियों की जानकारी नहीं है। इसके अलावा बीच में अपीलान्ट गम्भीर रूप से बीमार हो गया था इसलिऐ समय पर अपील पेश नहीं कर सका। दिनांक 16.5.2025 को प्रशासन करौली से जानकारी करने पर दिनांक 16.9.2018 को जानकारी हुई। इसलिऐ जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश है जिसके लिये धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश है देरी को क्षमा किया जावे। यह कि तहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया अपीलाधीन आदेश एकतरफा में पारित किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके अलावा अपीलान्ट आपराधिक गतिविधियों में कभी लिप्त नहीं रहा है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है , सामाजिक व्यक्ति है, शस्त्र का कभी दुरूपयोग नहीं किया है और ना ही किसी आन्दोलन में भाग लिया है, अपीलान्ट को कोई व्यक्तिगत नोटिस नहीं दिया है अपीलान्ट सेवानिवृत फौजी है जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता रहती है इसके अलावा श्रीमान न्यायालय हाजा ने पूर्व में अपील संख्या 26/2015 राजेन्द्रसिंह बनाम सरकार में दिनांक 19.2.2016 को निर्णय पारित करते हुये अपील स्वीकार की गई है यह अपील भी उक्त अपील से भिन्न नहीं है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश कमांक न्याय/08/6729 दिनांक 16.9.2018 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का शस्त्र 86/KATHYA/89/ (आर्म्स लाईसेस संख्या) 12 बोर गन 5921–82 अपीलान्ट को वापिस सुपुर्द किये जाने एवं आर्म्स लाईसें को नवीनीकरण किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। यह अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.9.2008 के खिलाफ दिनांक 20.5.2025 को अर्थात 18 साल के लम्बे अर्से के बाद पेश की गई है जो एक अक्षम्य बिलम्ब है। मियाद के संदर्भ में अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया है कि वह अनपढ है, वह बीमार हो गया था, वह अनभिज्ञ था। लेकिन अपीलान्ट के द्वारा अपने कथनों की ताईद में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे उनके कथनों की ताईद हो सके । यहां यह उल्लेखनीय है कि मियाद में प्रत्येक दिन के बिलम्ब को Explain किया जाना आवश्यक है। अन्यथा मियाद अधिनियम की धारा–5 का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। इसके अलावा प्रकरण में गुर्जर आन्दोलन के चलते जिला प्रशासन द्वारा तत्कालीन विषम परिस्थितियों के बाबजूद भी कई बार शस्त्रों को जमा कराने के संबध में अखबार साया कराये गये है किन्तु अपीलान्ट के द्वारा निर्धारित अवधि में शस्त्र जमा नहीं कराया जाना जिला मजिस्ट्रेट के आदेशो की अनदेखी व आर्म्स एक्ट का उल्लघंन किया जाना है। जबकि एक शस्त्रधारक से इस बाबत सजग रहने की अपेक्षा की जाती है। लिहाजा अपीलान्ट /शस्त्रधारक का अपने दायित्वों के प्रति सजग नहीं रहने एवं करीब 18 साल के

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

लम्बे अर्से की अक्षम्य देरी के बाद बिना किसी ठोस बजह के प्रस्तुत यह अपील खारिज योग्य रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जाती है तथा तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.9.2008 (क्रम संख्या 10 पर अंकित अपीलान्ट रूपसिंह के संबध में) यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.3.2026 को सुनाया गया।

(नलिनी कठौतिया)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर